न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 21 सन 2019

अनवान :–

1. कमला पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी स्व जगदीश जाति सुथार निवासी चारणवासी तहसील नोहर हाल आबाद सिद्धमुख तहसील राजगढ जिला चुरू।

सायला

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति सुथार निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. मानता पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी सुभाष निवासी चारणवासी तहसील नोहर हाल आबाद उयवठ तहसील राजगढ जिला चुरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता सायल
श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता 1,2 गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 15/02/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 40/39 के प0न0 342/373(61) किला न0 12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2400 ,16/0.0260 ,17/0.1010 ,18/0.2020 ,19/0.2530 ,20/3 की 0.1390 ,21/0.1390 ,22/0.0339 कुल 1.8980हैक जो गैरसायल न0 1 ता 19 खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि कुम्भाराम पुत्र जालुराम के फोत होने पर हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की 2005 प्रभावी था तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 , 8 के अनुसार उक्त पैतृक सम्पति में कृष्णकुमार के जीवनकाल में उसके लडकियों का उसके साथ बहिब का हक व हिस्सा था उक्त भूमि दादालाई सम्पति है गैरसायल न0 1 व दो पुत्रीया कमला सायला व गैरसायला न0 2 मानता तीनों बहिब 1/3 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि गैरसायल न0 1 के नाम हक से ज्यादा दर्ज है तथा गैरसायल न0 1 उक्त इन्द्राज से उत्साहित होकर वाद भूमि को बेचान करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को नापुरा होने वाला नुकसान होता है इसलिये सायला गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने की अधिकारी है की वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से स्थानान्तरण नही करे।

सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 5 के एनएन के खाता संख्या 40/39 की कुल 1.8980हैक में से गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 19 हिस्सा भूमि को रहन बेय अथवा अन्य प्रकार से मुन्तकिल ना करे ।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 1 ,2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

गैरसायल एंक गरीब लधू सीमान्त किसान है जिसके पास उक्त भूमि के अलावा आय का कोई साधन नही है इस भूमि के अलावा अन्य कोई भरण पोषण का साधन नही है गैरसायल ने अपनी लडकीयों की शादी /भात /छुछक में काफी खर्च किया था एव दोना लडकीयों ने मौजीज व्यक्तियों के सामने अपने हकों का त्याग अपने पिता कृष्ण कुमार के पक्ष में किया जा चुका था।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

सायला की शादी जगदीश के साथ हुई थी जिसके एक पुत्र मुकेश है जो गैरसायल के पास ही रहता है जगदीश के देहान्त होने के बाद सायला आवारा किस्म के लोगो के साथ रहती है जिसका विरोध करने पर कहा की मेरा गेरसायल या उसके परिवार से कोई सम्बध नही है गैरसायल को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायला का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है सायला अपने पिता से भूमि हडपकर फरोख्त करना चाहती है जिससे सायला को कोई नुकसान नही होगा बल्की गैरसायल को नापूरा होने वाला नुकसान होता है सायला का लडका गैरसायल के पास ही रहता है जो अपनी माता के हक त्याग से सहमत है सायला ने केवल गैरसायल को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारीज फरमाया जावे।

गेरसायल का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 40/39 के प0न0 342/373(61) किला न0 12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2400 ,16/0.0260 ,17/0.1010 ,18/0.2020 ,19/0.2530 ,20/3 की 0.1390 ,21/0.1390 ,22/0.0339 कुल 1.8980हैव जो गैरसायल न0 1 ता 19 खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि कुम्भाराम पुत्र जालुराम के फोत होने पर हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की 2005 प्रभावी था तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 , 8 के अनुसार उक्त पैतृक सम्पति में कृष्णकुमार के जीवनकाल में उसके लडकियों का उसके साथ बहिब का हक व हिस्सा था उक्त भूमि दादालाई सम्पति है गैरसायल न0 1 व दो पुत्रीया कमला सायला व गैरसायला न0 2 मानता तीनों बहिब 1/3 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि गैरसायल न0 1 के नाम हक से ज्यादा दर्ज है तथा गैरसायल न0 1 उक्त इन्द्राज से उत्साहित होकर वाद भूमि को बेचान करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को नापुरा होने वाला नुकसान होता है इसलिये सायला गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने की अधिकारी है की वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से स्थानान्तरण नही करे सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

वकील गेरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गैरसायल एंक गरीब लधू सीमान्त किसान है जिसके पास उक्त भूमि के अलावा आय का कोई साधन नही है इस भूमि के अलावा अन्य कोई भरण पोषण का साधन नही है गैरसायल ने अपनी लडकीयों की शादी /भात /छुछक में काफी खर्च किया था एव दोना लडकीयों ने मौजीज व्यक्तियों के सामने अपने हकों का त्याग अपने पिता कृष्ण कुमार के पक्ष में किया जा चुका था।

सायला की शादी जगदीश के साथ हुई थी जिसके एक पुत्र मुकेश है जो गैरसायल के पास ही रहता है जगदीश के देहान्त होने के बाद सायला आवारा किस्म के लोगो के साथ रहती है जिसका विरोध करने पर कहा की मेरा गेरसायल या उसके परिवार से कोई सम्बध नही है गैरसायल को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायला का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है सायला अपने पिता से भूमि हडपकर फरोख्त करना चाहती है जिससे सायला को कोई नुकसान नही होगा बल्की गैरसायल को नापूरा होने वाला नुकसान होता है सायला का लडका गैरसायल के पास ही रहता है जो अपनी माता के हक त्याग से सहमत है सायला ने केवल गैरसायल को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारीज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायला वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी है या नही एवं उसके द्वारा अपने हकों का त्याग किया गया है अथवा नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
बाड़मेर

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 40/39 के प0न0 342/373(61) किला न0 12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2400 ,16/0.0260 ,17/0.1010 ,18/0.2020 ,19/0.2530 ,20/3 की 0.1390 ,21/0.1390 ,22/0.0339 कुल 1.8980हैक जो गैरसायल न0 1 का 19 हिस्सा का खातेदार काश्तकार सयुक्त खाते में दर्ज है गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन गैरसायल के पक्ष में पाया जाता है।

सायल का कथन है कि वाद भूमि दादालाई सम्पति है जिसमें सायला का गैरसायल न0 1 एवं गैरसायल न0 2 के साथ बहिब का हक हिस्सा है यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होगा की सायला वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी है या नही क्योकि गैरसायल का कथन है सायला जो उसकी पुत्री है की शादी जगदीश के साथ हुई थी जिसके एक पुत्र मुकेश हुआ उसके वाद जगदीश का देहान्त होने के बाद अन्य पुरूष के साथ रहती है।

सायला जो गैरसायल न0 1 की पुत्री है यदि वह अपने पति के देहान्त होने के बाद अपने पिता या ससुराल में ना रह कर अन्य जगह रहती है तो उसके हक हिस्सा का निर्णय वाद में होगा।

गैरसायल के जबाब प्रार्थना पत्र के अनुसार सायला का एक पुत्र भी है जिसका सायला ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई अकंन नही किया गया है तथा न ही बहस में कोई तथ्य प्रकट किया है अर्थात सायला क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नही आई है सायला का पुत्र भी सायला के हक में से अपनें हकों को पाने का अधिकारी है ।

गैरसायल न0 2 एंव सायला का पिता सायला के द्वारा अपने हकों को त्याग करना स्वीकार कर रहे है अर्थात सायला का हकत्याग किये होने की सम्भावना जताई जा सकती है जो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा।

मात्र प्रार्थना पत्र के मध्यनजर गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज समस्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाहती है जो न्यायोचित नही है।

गैरसायल सयुक्त खाते में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द नही किया जा सकता है

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारीज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 27.02.2019 को रोही मौजा 5 केएनएन के खाता संख्या 40/39 की 1.8990हैक भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)